न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी: डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

गुण्डा एक्ट मुकदमा संख्या: 18/2022

सायल

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही

बनाम

गैरसायल

देवाराम पुत्र शंकरलाल जी, जाति- माली, निवासी- भाटकडा, सिरोही, जिला-सिरोही

"इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975"

उपस्थिति:

1. सहायक लोक अभियोजक
2. अधिवक्ता श्री विक्रम परिहार, गैरसायल की ओर से व गैरसायल देवाराम

-: निर्णय :- **दिनांक 13.9.2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा गैरसायल देवाराम पुत्र शंकरलाल जी, जाति- माली, निवासी- भाटकडा, सिरोही के विरुद्ध यह इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा- 3 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि गैरसायल आले दर्जे का जुआरी/झगडालू प्रवृति का है जो आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित कर जुआं खेलाता है, गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नही लग पाई है। गैरसायल जुआं खेलने व खेलाने से आम लोगों, बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय-समय पर मिलती रहती है तथा गैरसायल के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने को तैयार नही है। गैरसायल के विरुद्ध जुआं खेलने व झगडा करते हुए पकडा जाने व धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम के कुल 5 प्रकरण दर्ज हुये है जो धारा 13 आर.पी.जी.ओ., ईनामी धन परिचालन स्कीम, मारपीट के तहत दर्ज होकर नतीजा चालान पेश अदालत किये गये है, जिनमें से 3 प्रकरणों में गैरसायल को न्यायालय द्वारा सजा/जुर्माने से दण्डित किया गया है व 01 प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में लम्बित ट्रायल है, फिर भी उक्त गैरसायल अपने जुआं खेलना व आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित करने बाज नही आ रहा है, इसके कार्यकलापों की वजह से लोक व्यवस्था, जवानों एवं बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज चालानशुदा प्रकरणों से यह साबित है कि गैरसायल जुआं खेलने में व मारपीट में लिप्त है जो बावजूद सजा के भी निरन्तर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है जो आदतन जुआं खेलने व आम लोगों जुआं खेलने के लिये प्रेरित करने व मारपीट करने से आम जनता में भय व्याप्त है व लोग गैरसायल के विरुद्ध सूचना देने से कतराते है व गैरसायल के अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित कर जिलें से निष्कासित करने के आदेश पारित किये जावे।

(2) प्रस्तुत इस्तगासे पर गैरसायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज [illegible] र गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर [illegible]

....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:43:12 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम परिहार उपस्थित हुये। गैरसायल ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उस पर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार कर अनवीक्षा चाही। जिस पर इस न्यायालय द्वारा गैरसायल की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर गैरसायल को इस प्रकरण की जांच के दौरान इस न्यायालय में पेशी दर पेशी उपस्थित होने के लिये स्वयं के बन्ध पत्र एवं माकुल जमानत प्रस्तुत करने पर बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रकरण में गैरसायल ने बचाव में लिखित, जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में सहायक लोक अभियोजक एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी। सहायक लोक अभियोजक ने इस्तगासें में अंकित तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल आले दर्जे का जुआरी/झगडालू प्रवृति का है जो आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित कर जुआं खेलाता है, गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नही लग पाई है। गैरसायल जुआं खेलने व खेलाने से आम लोगों, बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय-समय पर मिलती रहती है तथा गैरसायल के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने को तैयार नही है। गैरसायल के विरुद्ध जुआं खेलने व झगडा करते हुए पकडा जोन व धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम के कुल 5 प्रकरण दर्ज हुये है जों धारा 13 आर.पी.जी.ओ., ईनामी धन परिचालन स्कीम, मारपीट के तहत दर्ज होकर नतीजा चालान पेश अदालत किये गये है, जिनमें से 3 प्रकरणों में गैरसायल को न्यायालय द्वारा सजा/जुर्मने से दण्डित किया गया है व 01 प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में लम्बित ट्रायल है, फिर भी उक्त गैरसायल अपने जुआं खेलना व आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित करने बाज नही आ रहा है, इसके कार्यकलापों की वजह से लोक व्यवस्था, जवानों एवं बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। अत: गैरसायल को गुण्डा घोषित कर 6 माह की अवधि तक जिलें से निष्कासित करने के आदेश पारित किये जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने गैरसायल की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(ख)(i) के अनुसार भा.द.सं. की धारा 290 से 294 तक के अधीन दण्डनीय अपराध में कम से कम दो बार दोषसिद्धी होती है तो इस धारा के अधीन आरोप साबित होता है। गैरसायल के विरुद्ध धारा 290 से 294 तक के अपराध में एक भी प्रकरण भी दर्ज नहीं है एवं न ही इस न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस में दर्शित किया है। धारा 2(ख)(ii) के अनुसार महिलाओं एवं कन्याओं से अनैतिक आचरण दमन अधिनियम 1956 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्धी होती है तो इस धारा का आरोप साबित है, जबकि गैरसायल के विरूद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत अभी कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है न ही इस न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस में दर्शित किया है। धारा 2(ख)(iii) के अनुसार आबकारी अधिनियम 1950 के अधीन कम से कम दो बार दोषसिद्धी होती है तो इस धारा के अधीन आरोप साबित है, परन्तु गैरसायल के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कभी भी कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, न ही इस न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस में दर्शित किया है। धारा 3(ख)(iv) के अनुसार NDPS अधिनियम के कम से कम दो बार दोषसिद्धी होने

पेज तीन पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही--307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:43:12 IST
Reason: SelfAttested

पर इस धारा के अधीन आरोप साबित होता है परन्तु गैरसायल के विरुद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत कभी भी कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है न ही अपराध विवरण इंस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में दर्शित किया गया है। धारा 3(ख)(v) के अनुसार राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोषसिद्धी होने पर इस धारा के अधीन आरोप साबित होता है, जबकि गैरसायल के विरुद्ध दो प्रकरण दर्ज है जिसमें प्रकरण में 74/2000 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है एवं एक प्रकरण 140/2018 अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. अभी भी न्यायालय में लम्बित है जो इस न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस में दर्शित किया है। धारा 3(ख)(vi) के अनुसार महिलाओं या कन्याओं के प्रति आदतन अभद्र टिप्पणी करता है या उन्हें तंग करता है तो इस धारा के अधीन आरोप साबित होता है जबकि गैरसायल के विरुद्ध इस प्रकार कभी कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है न ही इस न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस में कोई प्रकरण दर्शित किया है। धारा 3(ख)(vii) के अनुसार हिंसा के कृत्य द्वारा या बल प्रयोग द्वारा कानून का पालन करने वाले लोगो को धमकी देना या डराना, जबकि इस प्रकार का कोई प्रकरण गैरसायल के विरुद्ध दर्ज नहीं है न ही इस न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस में दर्शित है। धारा 3(ख)(viii) के अनुसार दंगा या शांतिभंग या बल्वा करने का आदी हो या बलपूर्वक चन्दा एकत्रित करने के लिए या स्वयं के लिए या अन्य के लिए गैर कानूनी आर्थिक लाभ हेतु लोगो को डराने का अभ्यस्त हो, परन्तु इस प्रकार का कोई प्रकरण गैरसायल के विरूद्ध दर्ज नहीं है एवं न ही इस न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस में दर्शित किया है। अतः गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 में प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जावे।

(5) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना, सिरोही में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 के तहत अपराध संख्या 74/2000 व अपराध संख्या 140 दिनांक 01.8.2018 को दर्ज हुये। इन दोनों अपराधों में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिसमें से अपराध संख्या 74/2000 अर्न्तगत धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13.8.2003 के अनुसार गैरसायल को दोषमुक्त किया गया है एवं गैरसायल के विरुद्ध दर्ज अपराध संख्या 140 दिनांक 01.8.2003 अर्न्तगत धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 संबंधित न्यायालय में पेण्डिंग ट्रायल है। इसके अलावा, गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना, सिरोही में अपराध संख्या 220 दिनांक 15.10.2011 को धारा 4/6 ईनामी धन परिचालन स्कीम के तहत एवं अपराध संख्या 99 दिनांक 26.3.2015 को धारा 147, 323, 149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत तथा अपराध संख्या 314 दिनांक 17.12.2021 को धारा 9/11 राजस्थान धुम्रपान प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है इन तीनों प्रकरण में संबंधित न्यायालय में गैरसायल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये ... संबंधित न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:43:12 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

द्वारा पारित दिनांक क्रमशः 03.9.2020, 10.2.2017 व 05.1.2022 के अनुसार गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा/जुर्माने से दण्डित किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) में वर्णित अपराध करने के दो प्रकरण अवश्य दर्ज़ हुये है, लेकिन गैरसायल को उक्त अपराध संख्या 74/2000 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13.8.2003 के द्वारा दोषमुक्त किया गया है एवं एक प्रकरण संबंधित न्यायालय में पेण्डिंग ट्रायल है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख) के अनुसार ''गुण्डा'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उक्त अधिनियम की धारा 2(ख)(i) से 2(ख)(viii) में अंकित अपराध करने का दोषी हो या अपराध करते हुए पाया गया हो, लेकिन न्यायालय पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि गैरसायल से आमजन में कोई भय व्याप्त है। गैरसायल के विरुद्ध सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने, बलवा करने, आम जन को धमकी देने, महिलाओं व लडकीयों से छेडछाड या अशिष्ट टिप्पणी करने, हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा विधि पालक लोगों को अभिजासित करने, आम जन की सम्पति को संत्रास, खतरा या नुकसान करने के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नही है। सायल पक्ष यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि उक्त अधिनियम की धारा 2(ख)(i) से 2(ख)(viii) में अंकित अपराध करने का गैरसायल दोषी हो या अपराध करते हुए पाया गया हो। ऐसी स्थिति में, गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाना व निष्कासित किया जाना न्यायसंगत नही है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल साबित नही होने से खारिज किया जाना उचित एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल साबित नही होने से खारिज किया जाता है एवं इस प्रकरण में गैरसायल की न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत बन्ध पत्र एवं जमानत पत्र को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13 सितम्बर, 2023 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिराही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:43:12 IST
Reason: SelfAttested